तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **जगदीश विश्नोई बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी फलोदी)** **सू.अ.अ. अपील संख्या 170/2020**	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.10.20	अपीलार्थी जगदीश विश्नोई पुत्र ठाकरराम, पता खिलेरी कृषि फार्म, बाईपास रोड़, चौहटन जिला बाड़मेर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 06.08.2020 में उसके द्वारा (1) फतेहगढ से बाडला ट्रांसमिशन लिमिटेड सिस्टम फोर अल्ट्रा मेगा सोलर विद्युत लाईन 765 केवी लाईन बिछाई जा रही है जो कि आपके क्षेत्राधिकार में किसानों की भूमि अवाप्ति की गई है जिसकी सूची मय नाम, पिता का नाम, खसरा संख्या क्षेत्रफल तथा अवार्ड राशि की प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी फलोदी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी फलोदी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी फलोदी) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी फलोदी) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anop Singh Inda
Date: 2021.01.12 17:27:45 IST
Reason: SelfAttested